रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128

REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थागार CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT. OF INDIA भारत सरकार

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 4, 1989/कार्तिक 13, 1911

No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 4, 1989/KARTIKA 13, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3 —3 उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम, (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित है ।

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 1989

सा.का.नि. 799.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) समूह "ख" पद भर्ती नियम, 1988 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) समूह "ख" पद भर्ती (संशोधन) नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) समूह "ख" पद भर्ती नियम, 1988 में,—

(1) अधीक्षक (विधि) के पद से संबंधित क्रम सं. 1 के सामने,—

(2) स्तम्भ 11 में दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :—

"(i) 75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

(ii) 25 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।";

(2) स्तम्भ 12 में दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"प्रोन्नति:

विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में सहायक (विधि) जिसने 1640–2900 रु. के वेतनमान में पांच वर्ष नियमित सेवा की है, जिसके न हो सकने पर 1640–2900 रु. और 425–800 रु (पूर्व)

Division Clerks, in column No. 11, the existing entries shall be substituted by the following entries namely :—

"100 per cent by promotion as indicated below :—

(i) 20 per cent from amongst Lower Division Clerks on seniority-cum-fitness basis.

(ii) 40 per cent from amongst Lower Division Clerks through a competitive examination.

(iii) 40 per cent from amongst Postal Assistants and Sorting Asstt. in Post Offices and Railway Mail Service Offices through a competitive examination.

Note.—In case vacancies remain unfilled in 40 per cent quota mentioned against item (iii) above such vacancies shall be filled up from the surplus qualified candidates against 40 per cent quota mentioned against item (ii) above if available and vice versa".

[No. 56-6/87-SPB-I]
D. H. SARKAR, Asstt. Director General (SPN)

(दूर संचार विभाग)

(बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कन्ध)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 1989

सा. का. नि. 823 :—दिनांक 19 अगस्त, 1989 के भारत राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, संचार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 623 (आर. 11014/7/86-एलआर, दिनांक 27 जुलाई, 1989) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएँ :—

पैराग्राफ	अशुद्ध	शुद्ध
आखरी लाईन	सहरुदबीन	सहरुद्दीन
	सहायक बेतार सलाहकार	सहायक बेतार सलाहकार

[सं. आर-11014/7/86-एल आर]
सहरुद्दीन, सहायक बेतार सलाहकार

(Department of Telecommunications)
(WPC Wing)
CORRIGENDUM

New Delhi, the 9th October, 1989

G.S.R. 823.—In this Ministry's Notification No. R-11014/7/86-LR dated 27-7-1989, published in the Gazette of India, Part-II, Section 3(i) dated 19-8-1989 under G.S.R. 623, the undermentioned corrections are made, namely :—

Paragraph/Line	Incorrect	Correct
Heading-date	17th July, 1989	27th July, 1989
Para-Line 2	he Indian Telegraph Act, 1885	the Indian Telegraph Act, 1885
Para-Line 3	17 of 1933)	(17 of 1933)
Para-Line 4	ing	following
Para-Line 5	video	Video
Para-Line 7	namelv	namely
sub-rule 1(i)		
Line 2	Licencing	Licensing
Line 3	Rules, 1985, namely :—	Amendment Rules, 1989
Rule- 2		
Line 2	Exempted	Exemption
	Licencing	Licensing
	Rule	Rules

[No. R-11014/7/86-LR]
SAHRUDDIN, Asstt. Wireless Adviser

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1989

सा. का. नि. 824:—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आकाशवाणी सिविल निर्माण स्कंध (ज्येष्ठ वित्तीय अधिकारी) भर्ती नियम 1988 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी, सिविल निर्माण स्कंध (ज्येष्ठ वित्तीय अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी सिविल निर्माण (ज्येष्ठ वित्तीय अधिकारी), भर्ती नियम, 1988 की अनुसूची के स्तम्भ 12 में "प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण" शीर्षक के नीचे,—

(क) मद (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी अर्थात् — "(1) ऐसे अधिकारी,—

(क) जो किसी संगठित लेखा सेवा में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या"

(ख) जिन्होंने संगठित लेखा सेवा में 2200–4000 रु. वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष नियमित सेवा की है", या

(ख) मद (iii) को मद (ii) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।

टिप्पण — मूल नियम भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 3, में सा. का. नि. सं. 737 तारीख 17-9-1988 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

[सं. 310/38/87-बी(डी)]
पी. एम. राजू, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 16th October, 1989

G.S.R. 824.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the All India Radio, Civil Construction Wing (Senior Financial Officer) Recruitment Rules, 1988, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio, Civil Construction Wing (Senior Financial Officer) Recruitment (Amendment) Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio, Civil Construction Wing (Senior Financial Officer) Recruitment Rules, 1988, in Column 12 under the heading "TRANSFER ON DEPUTATION",—

(a) for items (i) and (ii), the following item shall be substituted namely :—

"(i) Officers,—

(a) holding analogous posts on regular basis in any of the Organised Accounts Services; or

(b) with 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 2200-4000 of Organised Accounts Services; or"

(b) Item (iii) shall be renumbered as item (ii).

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, vide G.S.R. No. 737 dated 17-9-1988.

[No. 310/38/87-B(D)]
P. M. RAJU, Under Secy.

शहरी विकास मंत्रालय

(मुद्रण निदेशालय)

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1989

सा.का.नि. 825 :—राष्ट्रपति मौलिक नियमों के नियम 45 के प्रावधानों के अनुसरण में नासिक, कोयम्बटूर, कोरट्टी, अलीगढ़, नीलोखेड़ी संतरागाछी (हावड़ा), रिंग रोड, नई दिल्ली, फरीदाबाद और गंगटोक में नियोजित अधिकारियों को सरकारी आवास आबंटन नियम, 1972 तथा चंडीगढ़, भुवनेश्वर और मैसूर स्थित भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालयों और भारत सरकार पाठ्यपुस्तक मुद्रणालयों और भारत सरकार मुद्रणालय मिण्टो रोड, नई दिल्ली में विस्तारित सरकारी आवास आबंटन नियमों में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् —

1. (1) इन नियमों को नासिक कोयम्बतूर, कोरट्टी अलीगढ़, नीलोखेड़ी, संतरागाछी (हावड़ा), रिंग रोड, नई दिल्ली, फरीदाबाद, गंगटोक, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, मैसूर और मिन्टो रोड, नई दिल्ली स्थित भारत सरकार मुद्रणालयों/भारत सरकार पाठ्य-पुस्तक मुद्रणालयों में नियोजित अधिकारियों को सरकारी आवास आबंटन संशोधन नियम, 1989 कहा जाएगा।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नासिक, कोयम्बतूर, कोरट्टी, अलीगढ़, नीलोखेड़ी, संतरागाछी (हावड़ा), रिंग रोड, नई दिल्ली, फरीदाबाद और गंगटोक स्थित भारत सरकार मुद्रणालयों में नियोजित अधिकारियों को सरकारी आवास आबंटन नियम, 1972 में

(1) नियम 2 में

(क) उपनियम (ग) में "प्रबन्धक" शब्द के बाद "महाप्रबन्धक" और "प्रभारी अधिकारी" शब्द जोड़े जाएं।

(ख) उपनियम (च) में अंक और अभिव्यक्ति "45ग, परन्तु प्रतिपूरक भत्ते छोड़कर" के स्थान पर अंक और अभिव्यक्ति "9(21) (क) (1)" होंगे।"

(ग) उपनियम (1) के लिए निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात् —

(i) (1) नियम 4 के प्रावधानों के अधीन किसी टाइप के आवास के लिए पात्र अधिकारी को प्राथमिकता तारीख से तात्पर्य वह प्राथमिक तारीख है जिस तारीख से वह केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का विभागेतर सेवा में किसी पद पर लगातार परिलब्धियां प्राप्त कर रहा है टाइप 5(क) और टाइप 5(ख) तथा ऊपर के सम्बन्ध में छुट्टियों की अवधि छोड़कर टाइप 1 से टाइप 4 आवास के सम्बन्ध में उस तारीख को जिस तारीख से वह विभागेतर सेवा की अवधि सम्मिलित करके केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन लगातार सेवा में है।

यदि दो या अधिक अधिकारियों की प्राथमिकता तारीख वही है तो उनमें वरीयता का विनिश्चय परिलब्धियों द्वारा किया जाएगा। अधिक परिलब्धियां लेने वाले अधिकारी को कम परिलब्धियां लेने वाले अधिकारी से वरीयता